

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र / 2023 / २५४

दिनांक:- २४/१/२०२३

कार्यालय आदेश

वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक एए2(3)जागत/1037(iv)/38 दिनांक 30-06-2023 के द्वारा मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं में विकसित भूमि दरों को दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक स्थिर कर दी गयी है। उक्त आदेश को आधार मानते हुए मण्डल में अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों की वर्ष 2022-23 में निर्धारित लागत दरों के अनुसार ही सभी अधिशेष आवासों/फ्लेटों/निर्मित दुकानों की लागत वैधता कार्यालय आदेश क्रमांक 279 दिनांक 20-07-2023 के द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक स्थिर कर दी गयी है।

उक्त आदेशों को आधार मानते हुए मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर आवासीय योजना, जयपुर के कोचिंग हब की निर्मित संस्थानिक परिसम्पत्तियों की लागत वैधता आगामी बोर्ड बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक स्थिर की जाती है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।


(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0मा0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0मा0, (समस्त)
7. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0मा0, (समस्त)
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मा0, जयपुर।
11. प्रभारी मार्केटिंग सेल, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक